संख्या- 162/2024/3746/26-3-2024/C.N.-1513982

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण /जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 : लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2024

विषय-वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से डाटा अग्रसारण की तिथि 30.11.2024 के स्थान पर दिनांक 09.12.2024 तक अग्रसारित डाटा को लिये जाने व समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 10.01.2025 तक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-3112/स0क0/ शिक्षा-अ/4/5/2024-25 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से डाटा अग्रसारण की तिथि 30-11-2024 के स्थान पर दिनांक 09-12-2024 तक अग्रसारित डाटा को लिये जाने व समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 10-01-2025 तक भुगतान किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-158/2024/3474/26-3-2024 दिनांक 28-11-2024 द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तथा शासनादेश संख्या-157/2024/3475/26-3-2024 दिनांक 28-11-2024 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दिनांक 30-11-2024 तक शिक्षण संस्था से अग्रसारित डाटा के आधार पर प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 02-01-2025 को भुगतान किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

3- उल्लिखित करना है कि उक्त तिथि तक काफी कम लगभग 30 हजार संख्या में छात्रों के डाटा प्राप्त हुए हैं। यदि दिनांक 09-12-2024 तक शिक्षण संस्थानों से अग्रसारित डाटा को लिया जाता है तो लगभग 1.00 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जा सकता है । तदोपरान्त स्क्रूटनी की कार्यवाही दिनांक 18-12-2024 तक पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 10-01-2025 तक भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।

4- अतएव इस के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से डाटा अग्रसारण की तिथि 30-11-2024 के स्थान पर दिनांक 09-12-2024 तक अग्रसारित डाटा को लिये जाने व समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 10-01-2025 तक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश/नियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Rajani Kant Pandey (रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।
Date: 18-12-2024 17:59:44

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।